

भाग-द

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

विकास प्राधिकरण की अन्वयित एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

श्री गहनत सत्यदेव दास सरानानी द्वारा आराजी संख्या-174मि0, 175, 176, 177, क्षेत्रफल 55*3.66 वर्ग मीटर, नौजा-दीलतपुर, शिवपुर, वाराणसी पर समूह आवास भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, श्री धनी राम, सहायक अभियन्ता, श्री ए0इ0 सक्तेना तथा सहायक नगर नियोजक, श्री मनोज कुमार द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र परमित संख्या-सा0 122/2013नोटिस (शमन) दिनांक 30.08.17 के अनुरूप सही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 16.03.18 को क्रम में ए0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15फ(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किली भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र संख्या-एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2017 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 में अंकित प्रतिबंधों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी।
ए0प्र0-एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2017
दिनांक 25.04.2017
2. आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र।

हस्ताक्षर :

पदनाम : तहसीलदार/जोनल अधिकारी

अभिषेक कुमार

जोनल अधिकारी